कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-06-02-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त शहनवाज पुत्र मो0 शोएब को एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि की सजा तथा कुल 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-आमदपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/23, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **शहनवाज पुत्र मो0शोएब निवासी ए-25/38 सलेमपुरा थाना आदमपुर जनपद वाराणसी** को थाना-आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06-02-2025 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी